विधि, न्याय कम्पनी कार्यकलाप मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1980/12 भाद्र,1902 (शक)

ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980
(1980 का अधिनियम संख्यांक 46)
(1 सितम्बर,1980)

ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ तट-अपरदन के नियंत्रण के उपायों की योजना बनाने
और एकीकृत क्रियान्वयन के लिए बोर्ड की स्थापना और
तत्संबधी विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

अध्याय - I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम को ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम 1980 है ।
(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें ।

संघ द्वारा नियंत्रण की घोषणा।

2. इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि केन्द्रीय सरकार की समीचीनता को अन्तरराज्यिक ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के विनियम और विकास को, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित विस्तार तक, अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए।

परिभाषाएँ।

3. इस अधिनियम, में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) ''बौर्ड'' से धारा 4 के अधीन स्थापित ब्रह्मपुत्र बोर्ड अभिप्रेत है ;
(ख) ''ब्रह्मपुत्र-घाटी'' से धारा 11 के अधीन सीमांकित अन्तरराज्यिक ब्रह्मपुत्र नदी घाटी अभिप्रेत है ;
(ग) ''निधि'' से धारा 19 के अधीन स्थापित ब्रह्मपुत्र बोर्ड निधि अभिप्रेत है ;
(घ) 'मास्टर प्लान' से ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और तट-अपरदन के नियंत्रण तथा जलनिकास के सुधार के लिए धारा 12 के अधीन तैयार किया गया मास्टर प्लान अभिप्रेत है और जहाँ इसे भागत : तैयारा किया जाता है वहाँ इसका प्रत्येक भाग इसके अंतर्गत है ;
(ड) ''सदस्य'' से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है ;
(च) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
(छ) ''विनियमों'' से बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है ;
(ज) ''नियम'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं ;
(झ) सघं राज्य क्षेत्र के संबंध में, ''राज्य सरकार'' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है ।

अध्याय - 2

बोर्ड की स्थापना

ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना और निगमन

4 (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के नाम से एक बोर्ड उस तारीखसे स्थापित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

(2) बोर्ड पूर्वोक्त नाम से शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए स्थावर और जंगम दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा या उसके विरूद्ध वाद लाया जाएगा ।

(3) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्यों होंगे, अर्थात् :-

(क) एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(ख) बोर्ड का महा प्रबंधक और बोर्ड का वित्तीय सलाहकार, पदेन ;

(ग) असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर और त्रिपुरा की सरकारों और अरूणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के प्रशासनों और पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक का एक-एक सदस्य, जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करेगी ;

1971 का 84

(घ) केन्द्रीय सरकार के कृषि, सिंचाई, वित्त, विद्युत् और परिवहन से सम्बद्ध मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक का एक-एक सदस्य, जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करेगी ;

(ड.) केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण,भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक का एक-एक सदस्य, जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करेगी ।

(4) यदि कोई सदस्य अंगशैथिल्य के कारण या अन्यथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है या ऐसी परिस्थितियों से, जिनमें उसका पद रिक्त नहीं होता, भिन्न परिस्थितियों में छुट्टी पर अनुपस्थित है, तो केन्द्रीय सरकार उसके स्थान पर कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी ।

(5.) यदि केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी, जो बोर्ड का सदस्य नहीं है, उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो उसे बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने का और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा ।

(6) बोर्ड उस व्यक्ति को, जिसकी वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन करने के लिए सहायता या सलाह लेना चाहे, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, अपने साथ सहयुक्त कर सकेगा और इस प्रकार सहयुक्त व्यक्ति को बोर्ड के ऐसे विचार-विमर्श में, जो उस प्रयोजन से संगत हो जिसके लिए वह सहयुक्त किया गया है, भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा ।

(7) बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि -

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है, या

(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है, या

(ग) बोर्ड की प्रकिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

(8) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, बोर्ड एक स्थायी समिति गठित कर सकेगा जिसमें बोर्ड का महा प्रबंधक, बोर्ड का वित्तीय सलाहकार और बोर्ड के तीन अन्य सदस्य होंगे ।

(9) उपधारा (8) के अधीन गठित स्थायी समिति बोर्ड के ऐसे कृत्यों का पालन, शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, जो बोर्ड द्वारा उसे विहित या प्रत्यायोजित किए जाएं ।

सदस्यों की सेवा की शर्तें ।

5. बोर्ड के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) की पदावधि और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्ते, ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियाँ ।

6.(1) अध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, बोर्ड की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और उसके ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निवंहन करेगा जो विहित किए जाएं ।

(2) बोर्ड का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की एसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जाएं या जो अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं ।

महा प्रबंधक

7. (1) केन्द्रीय सरकार बोर्ड का महा प्रबंधक नियुक्त करेगी ।

(2) महा प्रबंधक की सेवा के निबंधन और शर्तें एसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

(3) बोर्ड तथा बोर्ड के अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए महा प्रबंधक बोर्ड का मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी होगा ।

(4) ाहाप्रबंधक अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जाएं या अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं तथा ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो नियमों द्वारा विहित या विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं ।

वित्तीय सलाहकार

8. (1) केन्द्रीय सरकार बोर्ड का वित्तीय सलाहकार नियुक्त करेगी ।

(2) वित्तीय सलाहकार की सेवा के निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

मुख्य इन्जीनियर, सचिव और अन्य अधिकारी ।

9. (1) केन्द्रीय सरकार -

(क) बोर्ड के महा प्रबंधक की सहायता करने के लिए दो मुख्य इन्जीनियर ; और

(ख) बोर्ड का सचिव,

नियुक्त करेगी ।

(2) बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

(3) बोर्ड के मुख्य अभियंताओं, सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं ।

सलाहकार समितियाँ ।

10. इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, बोर्ड अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यकतानुसार सलाहकार समितियां समय-समय पर गठित कर सकेगा।

अध्याय -3
बोर्ड के कृत्य और शक्तियाँ

ब्रह्मपुत्र घाटी की सीमाएँ ।

11. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात यथासंभव शीघ्र, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ब्रह्मपुत्र-घाटी का सीमांकन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए करेगी ।

(2) बोर्ड, अपने ऐसे कृत्यों का पालन और अपनी ऐसी शक्तियों का प्रयोग ब्रह्मपुत्र-घाटी के ऐसे क्षेत्रों में करेगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार इस उपधारा के अधीन किसी क्षेत्र के बारे में कोई अधिसूचना जारी करने के पूर्व उस राज्य सरकार से परामर्श करेगी जिस राज्य में ऐसा क्षेत्र स्थित है ।

ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ आदि के नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान ।

12 (1) इस अधनियम और नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड, ब्रह्मपुत्र-घाटी में सर्वेक्षणों और अन्वेषण करेगा तथा ब्रह्मपुत्र-घाटी में बाढ़ और तट अपरदन के नियंत्रण तथा जलनिकास के सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगा :

परन्तु, बोर्ड ब्रह्मपुत्र-घाटी के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में या ऐसे क्षेत्रों की बाबत विभिन्न विषयों के बारे में मास्टर प्लान भागों में तैयार कर सकेगा और जब कभी वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह मास्टर प्लान या उसके किसी भाग का पुनरीक्षण कर सकेगा ।

(2) मास्टर प्लान तैयार करने में बोर्ड सिंचाई, जलविद्युत्,नौपरिवहन या अन्य लाभप्रद प्रयोजनों के लिए ब्रह्मपुत्र-घाटी के जल स्रोत्रों के विकास और उपयोग को ध्यान में रखेगा और जहाँ तक संभव हो ऐसे प्लान में उन संकर्मों तथा अन्य उपायों को उप दर्शित करेगा जो ऐसे विकास के लिए हाथ में लिए जा सकेंगे ।

(3) मास्टर प्लान, यथास्थिति, तैयार किए जाने या पुनरीक्षित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार संबद्ध राज्य सरकारों से परामर्श कर के उसका अनुमोदन ऐसे परिवर्तनों के साथ करेगी जो वह ठीक समझे ।

बोर्ड के अन्य कृत्य ।

13.(1) बोर्ड -

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान में प्रस्तावित बाँधों अन्य परियोजनाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट और प्राक्कलन तैयार करेगा और प्रत्येक मामले में विभिन्न प्रयोजनों या उपयोगों के लिए लागत उपदर्शित करेगा ;

(ख) ऐसे बाँधों तथा अन्य परियोजनाओं के सन्निर्माण, संचालन और अनुरक्षण के लिए मानकों और विनिर्देशों को तैयार करेगा ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मास्ट प्लान में प्रस्तावित बहुद्देशीय बांधों और उनसे संबद्ध संकर्मों का सन्निर्माण केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से करेगा और ऐसे बांधों तथा संकर्मो का अनुरक्षण और संचालन करेगा ;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मास्टर प्लान में प्रस्तावित सभी बाँधों और अन्य परियोजनाओं का, जो खण्ड (ग) में निदिष्ट से भिन्न हैं, राज्य सरकारों द्वारा सन्निर्माण किए जाने के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों से परामर्श कर के योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार करेगा ;

(ङ) ऐसे किसी अन्य कृत्य का पालन करेगा जो इस अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन के लिए विहित किया जाए ;

(च) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो धारा 12 में या इस उपधारा के खण्ड (क) से (घ) तक में विनिर्दिष्ट है या इस उपधारा के खण्ड (ङ) के अधीन विहित कृत्यों के अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक हैं ।

(2) उपधारा (।) के खण्ड (घ) में किसी बात के होते हुए भी, यदि बोर्ड का उस खण्ड में निर्दिष्ट किसी बांध या परियोजना के सन्निर्माण की लागत और उसके लिए अपेक्षित विशेष ज्ञान को ध्यान में रखते हुए यह समाधान हो जाता है कि उसका सन्निर्माण करना समीचीन है तो यह केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसे बांध या परियोजना का सन्निर्माण कर सकेगा ।

(3) बोर्ड उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी बाँध या परियोजना का अनुरक्षण और संचालन तब तक कर सकेगा जब तक वह ऐसा करना आवश्यक समझे ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'बहु-उद्देशीय बाँध' से ऐसा बाँध अभिप्रेत है जो बाढ़ नियंत्रण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए सन्निमित किया गया है ।

वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए बोर्ड अपने कृत्यों का पालन कर सकेगा ।

14. धारा 12 और 13 में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विहित कृत्यों का बोर्ड द्वारा पालन किया जाना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :-
(क) बोर्ड द्वारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी बहु उद्देशीय बांध का सन्निर्माण तब तक नहीं करेगा जब तक कि सम्बद्ध राज्य सरकारें उस प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि उपलब्ध न करा दें ;

(ख) बोर्ड धारा 13 की उपधारा (1) के खंड घ में निर्दिष्ट किसी बांध या परियोजना का सन्निर्माण तब नहीं करेगा जब तक कि संबद्ध राज्य सरकारें उसके निष्पादन के लिए भूमि मुफ्त उपलब्ध न करा दें और उसके पूरा हो जाने के पश्चात ऐसे अवधि के अवसान से ही, जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए, उसके अनुरक्षण का भार अपने हाथ में न ले लें;

(ग) बोर्ड किसी बांध या संकर्म अपने हाथ में तब तक नहीं लेगा जब तक कि संबद्ध राज्य सरकारें ऐसी सब सहायता प्रदान करने के लिए सहमत न हो जाएं जो उसके सन्निर्माण, संचालन और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित हों ;

(घ) ऐसी अन्य शर्तें (जिनके अन्तर्गत बोर्ड द्वारा सन्निर्मित बाँध या अन्य कार्यों की लागत में संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः या भागतः हिस्सा देने से संबंधित शर्तें भी हैं) जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें ;

परन्तु बोर्ड ऐसे किसी बाँध या संकर्म के सन्निर्माण को अपने हाथों में लेने के पूर्व संबद्ध राज्य सरकारों को ऐसे बाधं या अन्य संकर्म के सन्निर्माण की लागत और उनसे होने वाले फायदों और उस अनुपात के बारे में अवगत कराएगा जिस अनुपात में राज्य सरकारें लागत में हिस्सा देंगी और फायदों में हिस्सा पाएगी ;

परत्तु यह और कि यदि बोर्ड और राज्य सरकारें ऐसे बाँध या अन्य संकर्म की लागत में हिस्सा देने और फायदों में हिस्सा पाने के बारे में सहमत होने में असमर्थ हैं तो बोर्ड यह विषय केन्द्रीय सरकार को विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से परामर्श करके ऐसे विषय का विनिश्चय करेगी और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

बोर्ड की साधरण शक्तिया

15. (1) इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड को ऐसी सभी बातें करने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के पालन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हों ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड -

(क) बह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण, तट-अपरदन और जलनिकास के विभिन्न पहलूओं से संबंधित आँकड़ें या अन्य जानकारी प्रकाशित कर सकेगा;

(ख) संबद्ध राज्य सरकारों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे उसे उपायों के संबंध में जानकारी दें जो उन्होंने ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और तट-अपरदन के नियंत्रण तथा जलनिकास के सुधार के लिए किए हैं, और स्थलाकृतिक, मौसम-विज्ञान और जल-विज्ञान संबंधी तथा अन्य संबंधित आँकड़े और ऐसी अन्य जानकारी दें,जिनकी बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के लिए अपेक्षा करें ।

बोर्ड द्वारा तैयार कि गई मास्टर योजनाओं आदि का भेजा जाना और उनके बारे में परामर्श

16. (1) बोर्ड अपने द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान, रिपोर्टें, प्राक्कलन, मानक और विनिर्देश केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को भेजेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार और संबद्ध राज्य सरकारें ऐसी योजना, रिपोर्टो, प्राक्कलनों या मानकों और विनिर्देशों से संबंधित या उद्भूत किसी विषय के बारे में बोर्ड से परामर्श कर सकेगी ।

(3) यदि कोई राज्य सरकार किसी कारणवशः यह समझती है कि ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और तट-अपरदन के नियंत्रण तथा जलनिकास संकर्म के लिए किसी परियोजना का निष्पादन करना आवश्यक है और ऐसी परियोजना मास्टर प्लान में परिकल्पित नहीं है या ऐसी परियोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से निष्पादित की जाने कि निए आशायित है जो मास्टर

प्लान कि अनुरूप नहीं है जो राज्य सरकार ऐसी परियोजना के निष्पादन के बारे में बोर्ड से परामर्श कर सकेगी ओर बोर्ड ऐसी सिफारिश कर सकेगा जो वह ठीक समझे :

परंतु इस उपधारा की किसी बात का अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उसमें किसी राज्य सरकार से यह अपेक्षित हे कि वह बोर्ड से किसी ऐसे संकर्म के निष्पादन के बारे में जो किसी आपात या अन्य साधारण परिस्थितियों के कारण अत्यावश्यक हो गया है ।

अध्याय- 4
केन्द्रीय सराकार द्वारा नियंत्रण

केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश और अनुदेश ।

17 (1) केन्द्रीय सरकार बोर्ड को ऐसे निदेश ओर अनुदेश, समय समय पर, जारी कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए आवश्सक समझे ओर बोर्ड ऐसे निदेशों और अनुदेशों का पालन करेगा ।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार धारा 13 की उप धारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी बाँध या परियोजना के किसी राज्य सरकार द्वारा निष्पादन के लिए उधारों या अनुदानों के रूप में कोई वित्तीय सहायता चाहे सीधे या बोर्ड के मार्फत और संसद द्वारा, विधि द्वारा, उस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्) प्रदान करते समय राज्य सरकार का इस निमित्त अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, बोर्ड को ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने का निदेश दे सकेगी जो उसका यह समाधान करने के लिए आवश्यक हो कि बोर्ड द्वारा संकर्मों के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुसार संकर्म निष्पादित किए जा रहे हैं ।

अध्याय- 5
वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार ।

18. केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक अनुदान और विनियोग के पश्चात्, बोर्ड को ऐसी धनराशियों का संदाय कर सकेगी जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे ।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड निधि की स्थापना जाएगी ।

19. 1 ब्रह्मपुत्र बोर्ड निधि के नाम से एक निधि स्थापित की जाएगी और उसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को संदत्त राशियाँ और बोर्ड द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशियाँ जमा की

2. निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) बोर्ड के सदस्यों अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक और बोर्ड के अन्य प्रशासनिक व्यय की पूर्ति ;

(ख) बोर्ड द्वारा अपने हाथ में लिए गए सर्वेक्षण तथा अन्वेषणों के व्यय की पूर्ति ;

(ग) बोर्ड द्वारा अपने हाथ में ली गई परियोजनाओं सन्निर्माण, संचालन और अनुरक्षण की लागत की पूर्ति ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों के निर्वहन में बोर्ड के अन्य व्यय की पूर्ति; और

(ड) यदि बोर्ड द्वारा धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन कोई राशि प्राप्त की जाती है तो संबद्ध राज्य सरकार को ऐसी राशि का संदाय ।

बजट

20. बोर्ड ऐसे रुप में और प्रत्येक वर्ष ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें प्राक्कलित व्यय और व्यय की यह रकम, जिसे देने के लिए किसी राज्य सरकार ने वचन दिया है, दर्शित होगी और उसे केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

21. बोर्ड ऐसे स्वरूप में और प्रत्येक वर्ष ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण दिया जाएगा और उसकी प्रतियाँ केन्द्रीय सरकार को भेजेगा और वह सरकार उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

लेखा और के लेखापरीक्ष।

22. बोर्ड के लेखे ऐसी रीति से रखे जाएंगे और उनकी ऐसी रीति से परीक्षा की जाएगी, जो भारत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित की जाए ।

अध्याय - 6
प्रकीर्ण

बोर्ड राज्य सरकारों के बीच विवाद ।

23 (1) यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले या इससे सम्बद्व या उद्‌भूत राज्य सरकारों किसी विषय के बारे में कोई विवाद बोर्ड और किसी राज्य सरकार के और बीच उठता है तो वह केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार विवाद को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, वार्ता या सुलह द्वारा तय करने का प्रयास करेगी ।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार वार्ता या सुलह द्वारा विवाद तय करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करने के पूर्व या ऐसी कार्रवाई प्रारम्भ करने के पश्चात् किसी भी प्रक्रम में यह आवश्यक समझती है कि विवाद ऐसी प्रकृति का है कि उसे माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट करना आवश्यक या समीचीन है तो केन्द्रीय सरकार ऐसे प्ररुप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए विवादग्रस्त विषय मध्यस्थ को, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त या जाएगा, निर्दिष्ट करेगी ।

(4) मध्यस्थ अपने समक्ष कार्यावाहियों में अपनी सहायता के लिए असेसरों के रुप में दो या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा ।

(5) मध्यस्थ का विनिश्चय अन्तिम और विवाद के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और उनके द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा ।

1940 का 10

(6) माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 की कोई बात इस धारा के अधीन किसी माध्यस्थम् को लागू नहीं होगी ।

सदस्यों का हटाया जाना आदि

24. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि -

(क) कोई सदस्य कार्य करने से इन्कार करता है ;

(ख) कोई सदस्य कार्य करने में असमर्थ हो गया है ;

(ग) किसी सदस्य ने सदस्य के रुप में अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है कि उसका बोर्ड का सदस्य बने रहना लोकहित के लिए हानिकर हो गया है; या

(घ) कोई सदस्य ऐसे सदस्य के रुप में बने रहने के लिए अन्यथा अयोग्य है, तो वह ऐसे सदस्य को बोर्ड से हटा सकेगी ।

(2) केन्द्री सरकार किसी सदस्य को उसके विरुद्ध जाँच लंबित रहने तक निलंबित कर सकेगी ।

(3) इस धारा के आधीन हटाए जाने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बद्ध सदस्य को अपना स्पष्टीकरण केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो और ऐसा आदेश पारित कर दिए जाने पर हटाए गए सदस्य का स्थान रिक्त घोषित किया जाएगा ।

(4) कोई सदस्य, जो इस धारा के अधीन हटा दिया गया है,बोर्ड के सदस्य के रूप में या बोर्ड के अधीन किसी हैसियत में पुनर्नियुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा ।

(5) यदि बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों या केद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन करने में असफल रहता है तो केद्रीय सरकार के बोर्ड का पुनर्गठन करने की शक्ति होगी ।

प्रवेश करने की शक्ति

25. इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए बोर्ड का कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशिष्टतया प्राधिकृत किया गया है,किसी भूमि या परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश कर सकेगा और वँहा ऐसी बातें कर सकेगा जो बोर्ड का कोई संकर्म या ऐसा कोई सर्वेक्षण, परीक्षण या अन्वेषण जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा शक्तियों या कृत्यों के पालन में प्रारम्भिक या अनुषंगिक है, विधिपूर्वक करने के प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक हो :

परन्तु ऐसा कोई अधिकारी किसी भवन में या निवासगृह से संलग्न किसी घिरे हुए आंगन या बगीचे में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि उसके अधिभोगी को अनुमति न मिली हो और उसने अपने ऐसे प्रवेश करने कि लिखित सूचना ऐसे अधिभोगी को कम से कम सात दिन पूर्व न दे दी हो ।

बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों लोक सेवक होना।

26. इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले बोर्ड के सभी सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय और दंड संहिता कर्मचारियों का की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक होंगे । 1980का 45

सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

27. (1) कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या विनियमों के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशायित हो, सरकार के विरूद्ध या सरकार के किसी अधिकारी या बोर्ड के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध न होगी ।

(2) कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे नुकसान के बारे में,जो इस अधिनियम या नियमों या विनियमों के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात से कारित हो या जिसका ऐसे कारित होना संभाव्य हो , बोर्ड के विरूद्ध न होगी और विशिष्टतया, बाढ के कारण या संकर्मों के भग्न होने और उनके खराब होने के कारण आवश्यक राहत उपायों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी बोर्ड की नहीं होगी ।

नियम बनाने की शक्ति

28. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियमके प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे , अर्थात:-

(क) वे विषय, जो धारा 4 की उपधारा (8) और (9) में निर्दिष्ट बोर्ड की स्थायी समिति से संबंधित है;

(ख) धारा 5 के अधीन बोर्ड के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) की पदावधि और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें ;

(ग) घारा 6 के अघीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्त्तव्य ;

(घ) घारा 7 के अधीन महा प्रबन्धक की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उस की शक्तियाँ और कर्त्तव्य;

(ड) धारा 8 के अधीन वित्तीय सलाहकार की सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(च) धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन सर्वेक्षण और अन्वेषण करने तक मास्टर प्लान तैयार करने के बारे में शर्तें और निबंधन तथा उनसे संबंधित अन्य विषय ;

(छ) धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) अधीन बोर्ड के अतिरिक्त कृत्य ;

(ज) धारा 15 की अपधारा (1) के अधीन बोर्ड की साधारण शक्तियों के बारे में शर्तें और निबन्धन तथा उनसे सम्बधित अन्य विषय ;

(झ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जब बोर्ड धारा 20 के अधीन अपना बजट और धारा 21 के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा वह रीति जिससे बोर्ड के लेखे धारा 22 के अधीन रखे जाएंगे और अनकी परीक्षा की जाएगी ;

(त्र) वह रीति जिससे केन्द्रीय सरकार धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विवादों को माध्यस्थम् के लिए उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन निर्दिष्ट किया जा सकेगा ;

(ट) धारा 25 के अधीन प्रवेश करने की शक्ति के प्रयोग के बारे में शर्तें और निबंधन तथा उससे संबंधित अन्य विषय ;

(ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाएगा जिसके बारे में नियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना है या किया जाए ।

विनियम बनाने की शक्ति

29. (1) बोर्ड , इस अधिनियम के प्रयोजनों को साधारणतया क्रियान्वित करने के लिए इस अधिनियम और नियमों से सुसंगत विनियम, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित विषयों में से सभी या उनमें से किसी के लिए, उपबंध कर सकेंगे, अर्थातः-

(क) वह रीति जिससे और वे प्रयोजन जिनके लिए बोर्ड किसी व्यक्ति को अपने साथ धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन सहयुक्त कर सकता है ।

(ख) बोर्ड की महा प्रबंधक की वे शक्तियाँ और कर्त्तव्य जो धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अवधारित किए जाएं ।

(ग) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के मुख्य इंजीनियरों, सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ।

(घ) कोई अन्य विषय , जिसके बारे में विनियमों द्वारा उपबंध किया गया है या किया जाए ।

नियमों और विनियमों का संसद के समक्ष रखा जाना

30. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक बनाए जाने पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान से पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।

ह/-
वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री,
सचिव, भारत सरकार